

पत्रावली आज पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। वकील प्रार्थी ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आर्डर 9 रूल 13 सीपीसी का बाजदायरी हेतु पेश किया है कि मूल पत्रावली दिनांक 02.09.2024 तारीख पेशी नियत थी। उस दिन प्रार्थी का स्वास्थ्य खराब होने के कारण प्रार्थी दिखाने के लिये जयपुर गया हुआ था, जिसकी सूचना प्रार्थी ने अपने वकील साहब को नहीं दी। प्रार्थी के वकील साहब राजकीय अधिवक्ता है, जो नियत दिनांक को सुनवाई के समय सिविल न्यायालय में किसी राजकीय मुकदमें की सुनवाई में व्यस्त होने के कारण न्यायालय में उपस्थित नहीं हो सके एवं प्रार्थी का प्रकरण अदम हाजरी व अदम पैरवी में खारिज कर दिया गया था। प्रार्थी द्वारा जानबूझकर भूल नहीं की है। अतः प्रार्थी का बाजदायरी प्रार्थना पत्र स्वीकार कर मूल प्रकरण में नंबर पर लिये जाने की कृपा करें। पत्रावली का अवलोकन किया।

बहस प्रार्थना पत्र सुनी गई। मैंने पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन एवं वकील प्रार्थी की बहस पर मनन किया। प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों के आधार पर उसे स्वीकार किया जाना न्यायोचित है।

अतः प्रार्थी का बाजदायरी प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

hzo
उपखण्ड अधिकारी
घोथ का बरवाड़ा

